विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 05/ SI-PC/परीक्षा/2016–17 **दिनांक : 05.10.2016**

आयोग द्वारा **गृह (ग्रुप–1) विभाग** हेतु **गैर टीएसपी क्षेत्र (सामान्य) हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989** के अन्तर्गत एवं **टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014** के अन्तर्गत उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर के पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थाई हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है) की वर्गवार संख्या निम्नानुसार है :–

पदों की संख्या	सामान्य पद				अनुसूचित जाति वर्ग				अनुसूचित जनजाति वर्ग				पिछडा वर्ग				विशेष पिछडा वर्ग			
	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
उप निरीक्षक (ए.पी.) 147 पद																				
सामान्य पद 136 पद	16	4	2	0	33	9	4	0	22	6	3	0	21	6	3	0	5	2	0	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 11 पद	5	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 18 पद																				
उप निरीक्षक (आई.बी.) 65 पद																				
सामान्य पद 60 पद	3	1	0	0	7	2	0	0	8	2	0	0	24	7	3	0	3	0	0	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 5 पद	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 8 पद																				
प्लाटून कमाण्डर (आर.ए.सी.) 114 पद																				
सामान्य पद 105 पद	37	10	4	1	11	3	1	0	9	2	1	0	15	4	2	0	4	1	0	0
टी.एस.पी.क्षेत्र 9 पद	4	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दण्डवत आरक्षण – भूतपूर्व सैनिक 14 पद																				
उप निरीक्षक (एम.बी.सी.) 4 पद																				
सामान्य पद 4 पद	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

नोट : – (1) केवल टी.एस.पी. क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी टी.एस.पी. क्षेत्र/गैर टी.एस.पी. क्षेत्र (सामान्य क्षेत्र) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा उन्हें टी.एस.पी. क्षेत्र हेतु आरक्षित पदों के विरूद्ध लाभ देय नहीं होगा।

(2) सभी अभ्यर्थी उपरोक्त चारों शाखाओं (AP/IB/RAC/MBC) के संबंध में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें।

नवीनतम् जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट http://www.rpsc.rajasthan.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :

(1) Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or State Legislature or declared to be deemed as University Under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or posses an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission.

(2) Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

रनिंग पे–बैण्ड	रनिंग पे–बैण्ड (9300–34800) ग्रेड पे रू. 4200/–
आयु सीमा	दिनांक 01.01.2017 को **न्यूनतम 20** वर्ष एवं **अधिकतम 25** वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य महिला	5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला	10

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में कार्यरत कर्मचारियों तथा कर्त्तव्य पालन करते समय मारे गये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों के लिये अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।
2	भूतपूर्व सैनिकों और रिजर्विष्ट अर्थात् जिनका रक्षा सेवा कर्मचारी दल से रिजर्व में ट्रांसफर हो गया हो, के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
3	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद उन्हें आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय, चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
4	However the upper age limit mentioned above may be relaxed by three years in exceptional cases by appointing authority, after previous approval of Government.

<u>नोट</u> – (1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) शासन से प्राप्त सेवावार, वर्गवार वर्गीकरण मे किसी वर्ग के लिए पद आरक्षित नहीं होने पर भी ऊपरी आयु सीमा में अभ्यर्थी को उसके वर्ग हेतु देय अधिकतम् आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

अन्य विवरण

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **साक्षात्कार से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **स्पष्टीकरण**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।** विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला/संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने की संभावना है जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन कर सकता है।
आवेदन अवधि	**दिनांक** 07–10–2016 **से दिनांक** 06–11–2016 रात्रि 12–00 बजे तक।
आवेदन प्रक्रिया	**1. ई–मित्र केन्द्रों एवं ई–मित्र पोर्टल पर उपलब्ध नेट बैंकिंग सुविधा से परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम दिनांक** 04.11.2016 **होगी एवं ऑन–लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक** 06.11.2016 **होगी।** **2. अभ्यर्थियों द्वारा नेट बैंकिंग/ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क आयोग की वेब–साईट से ई–ग्रास भुगतान के माध्यम का चयन कर जमा कराई जा सकेगी एवं उक्त सुविधा आवेदन की अंतिम दिनांक तक उपलब्ध रहेगी।** **3. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सीधे ही ई–ग्रास की वेबसाईट पर नहीं जावें।** **4. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा।**
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन **दिनांक** 07.11. 2016 **से दिनांक** 21.11.2016 रात्रि 12–00 बजे तक।

<u>विशेष नोट</u> :–

(1) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना एसएमएस के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 15 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Physical Fitness :- A candidate for direct recruitment of the Service, must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties as a member of Service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose.
प्रत्येक पुरूष उम्मीदवार की ऊँचाई तथा सीने की परिधि निम्नलिखित से कम न हो :–
1 ऊँचाई : 168 से.मी.
2 सीना बिना फुलाये 81 से.मी. तथा फुलाने पर 86 से.मी. (सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ) से कम नहीं

नोट : (1) पहाड़ी तथा जनजाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों की ऊँचाई 160 से.मी. से कम नहीं होनी चाहिए तथा सीना बिना फुलाये 79 से.मी. तथा फुलाने पर 84 से.मी. से कम नहीं होना चाहिए।
(2) महिला उम्मीदवार की ऊँचाई एवं वजन क्रमशः 152 से.मी. एवं 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए।
(3) ऊपर वर्णित शारीरिक समुपयुक्तता के मापदण्डों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की ऊँचाई एवं सीने के माप में 5 से.मी. तक की छूट दी जा सकती है।

A written Competitive Examination for the post of Sub Inspector in Section I,II and V for the post of Platoon Commander in Section IV and VI shall be conducted by the Commission at such places and time as may be notified by the Commission on the following pattern.

S. No.	Subject	Duration	Maximum Marks
1.	General Hindi	2 hours	200
2.	General Knowledge & General Science	2 hours	200

(To be answered in English or Hindi)

Note :- Syllabus and standards of each subject will be designed in consultation with the Commission

IMPORTANT

Candidates who obtain 36% of marks in each paper and 40% in the aggregate, shall be deemed to have passed the qualifying examination. Relaxation upto 50 marks will be available to candidates belonging the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.
Candidates who are declared successful in the written examination shall be required to appear before a Physical efficiency Board for physical efficiency test. The physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Director General of Police to adjudge suitability of the candidate. The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidates who secure 50% marks therein, shall be eligible for selection.
Candidates who are declared successful in the written test and in the physical efficiency test shall be eligible for aptitude test and interview which shall carry 50 marks. Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written and in the physical efficiency test except in the case of scheduled castes and scheduled tribes candidates who shall be eligible for interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.
The aptitude test and interview shall be held by a Recruitment Board. The Recruitment Board shall award marks to each candidates in respect of suitability to the post, taking into consideration personality, address, tact, behaviour, specialized training, aptitude for the post, judgement, leadership and knowledge of Rajasthani Culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each such candidate. Candidates holding Degree or Diploma in criminology or N.C.C. “C” Certificate or who have offered Police Administration as one of the papers for the degree examination may be given weight.

RECOMMENDATION

The Commission shall not recommend candidates, who have secured less than 36% marks in interview and 45% marks in aggregate.
Provided that the Commission may recommend women candidates, candidates belonging to the OBC, SBC, SC, ST, who though failing to obtain the minimum marks, are declared by Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, if the candidates secure 30% marks in interview and 40% marks in the aggregates.

विशेष सूचना :– **''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 15 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online संशोधन कर सकता है, इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''**

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी ***नवीनतम एवं संशोधित*****परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in** या **http://rpsc.rajasthan.gov.in/applyonline** पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151200 एवं 5151212** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव